

## पूर्ववर्ती पेंशन योजना को बहाल करने की मांग

### प्रलिस के लयि:

नई पेंशन योजना, पूर्ववर्ती पेंशन योजना, PFRDA

### मेन्स के लयि:

सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप

## चर्चा में क्यँ?

कई राज्य पूर्ववर्ती पेंशन योजना को बहाल करने और [राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली](#) (NPS) को वापस लेने की मांग कर रहे हैं ।

- राजस्थान ने कहा है कविह अगले वत्तीय वर्ष से राज्य में पूर्ववर्ती पेंशन योजना को वापस लाएगा और साथ ही छत्तीसगढ़ भी इस नीतिका पालन कर सकता है ।
- केरल, आंध्र प्रदेश और असम की सरकारों ने भी पूर्ववर्ती पेंशन योजना के संबध में समतयिँ का गठन कयिा है ।

## राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है?

### ■ परचिय:

- इस प्रणाली की शुरुआत केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 में (सशस्त्र बलों को छोड़कर) की थी ।
  - वर्ष 2018 में इसको सुव्यवस्थति करने तथा और अधिक आकर्षक बनाने के लयि केंद्रीय मंत्रमिंडल ने इसके अंतरगत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारयिँ को लाभ पहुँचाने हेतु योजना में बदलाव को मंजूरी दी ।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को सरकार के लयि पेंशन देनदारयिँ से छुटकारा पाने के तरीके के रूप में लॉन्च कयिा गया था ।
  - 2000 के दशक की शुरुआत में आयोजति एक अनुसंधान का हवाला देते हुए एक समाचार रपिर्ट में बताया गया था कभारत का पेंशन ऋण अत्यधिक बढ़ता जा रहा था ।
- NPS की शुरुआत पर केंद्रीय सविलि सेवा (पेंशन) नयिम, 1972 में संशोधन कयिा गया था ।
- NPS ग्राहकों (सरकारी कर्मचारयिँ) को यह तय करने की अनुमत्ता देता है कविँ अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नयिमति रूप से योगदान कर अपना पैसा कसि प्रकार नविश करना चाहते हैं ।
- सेवानवित्त के बाद वे पेंशन राशिका एक हसिसा एकमुश्त नकाल सकते हैं और बाकी का उपयोग नयिमति आय हेतु 'वार्षकी' (Annuity) खरीदने के लयि कर सकते हैं ।

### ■ कारयान्वयन:

- NPS को देश में PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरटि) द्वारा कारयान्वति एवं वनियमति कयिा जा रहा है ।
- PFRDA द्वारा स्थापति 'नेशनल पेंशन ससि्टम ट्रस्ट' (NPST) NPS के तहत सभी संपत्तयिँ का पंजीकृत मालकि है ।

### ■ वशिषताएँ:

- NPS का 'ऑल सटिज़न मॉडल' भारत के सभी नागरकिँ (NRIs सहति) को 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच NPS में शामिल होने की अनुमत्ता देता है ।
- यह एक सहभागी योजना है, जहाँ कर्मचारी सरकार के समान योगदान के साथ वेतन से अपने पेंशन कोष में योगदान करते हैं । इसके बाद नधियिँ को पेंशन नधिर्प्रबंधकों के माध्यम से नरिधारति नविश योजनाओं में नविश कयिा जाता है ।
  - वर्ष 2019 में वत्ति मंत्रालय ने कहा था किकेंद्र सरकार के कर्मचारयिँ के पास पेंशन फंड (PF) और नविश पैटर्न का चयन करने का वकिलप है ।
- सेवानवित्त के समय वे कुल राशिका 60% नकाल सकते हैं, जो कर-मुक्त है और शेष 40% वार्षकी में नविश कयिा जाता है, जसि पर कर लगता है ।
- यहाँ तक कनिजी व्यक्त्ति भी इस योजना का वकिलप चुन सकते हैं ।

## पूरववर्ती पेंशन योजना या परभाषति पेंशन लाभ योजना क्या है?

### परचिय:

- यह योजना सेवानवृत्तके बाद आजीवन आय का आशवासन देती है।
- आमतौर पर सुनश्चिति राशा अंतमि आहरति वेतन के 50% के बराबर होती है।
- पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। वर्ष 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया था।

### मुददे:

- अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुददा लंबी उमर यानी अधिक पेंशन भुगतान है।
  - उदाहरण के लिये 60 वर्ष की आयु में सेवानवृत्त होने वाले तथा लगभग 80 वर्ष या उससे अधिक की औसत आयु वाले कर्मचारियों को सेवानवृत्तके बाद दो दशकों से अधिक का भुगतान करना पड़ता है।
- इसके अलावा पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थितिमें पति या पत्नी OPS के तहत पेंशन के एक हस्से के हकदार हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकारों पर पेंशन का भारी बोझ पड़ता है।

## राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधति मुददे:

- पुरानी योजना (OPS) के तहत कर्मचारियों को पूरव नरिधारति फार्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी जो अंतमि आहरति वेतन का आधा होता है तथा उन्हें वर्ष में दो बार महंगाई राहत (Dearness Relief) में संशोधन का भी लाभ मिलता था। भुगतान नरिधारति था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अलावा OPS के तहत सामान्य भवषिय नधि (General Provident Fund-GPF) का भी प्रावधान था।
- हालाँकि NPS में कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% महंगाई भत्ते के साथ जमा करने की आवश्यकता होती है यह कोई जीपीएफ लाभ नहीं है और न ही इसमें पेंशन की राशातिय है। इस योजना के साथ प्रमुख मुददा यह है कि यह रटिर्न-आधारति तथा बाज़ार से जुड़ा हुआ है। सरल शब्दों कह सकते हैं कि इसमें भुगतान अनश्चिति है।

## पेंशन नधि विनियामक और विकास प्राधकिरण:

### परचिय:

- यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के व्यवस्थति विनियमन, इसे बढ़ावा देने और सुनश्चिति करने के लिये संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापति वैधानिक प्राधकिरण है।
- यह वतित्त मंत्रालय के वतित्तीय सेवा वभाग (Department of Financial Service) के अंतर्गत कार्य करता है।

### कार्य:

- यह वभिन्नि मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे- पेंशन फंड मैनेज़र (Pension Fund Manager), सेंटरल रकिर्ड कीपिंग एजेंसी (Central Record Keeping Agency) आदि की नयुक्ति का कार्य करता है।
- यह NPS के तहत पेंशन उदयोग के विकास, इसे बढ़ावा देने और नयित्रण का कार्य करता है तथा अटल पेंशन योजना का प्रबंधन भी करता है।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सम्मलिति हो सकता है?

- (a) केवल नविसी भारतीय नागरकि।
- (b) केवल 21 से 55 वर्ष तक की आयु का व्यक्ती।
- (c) राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी, जो संबंधति राज्य सरकार द्वारा अधसिचन जारी किये जाने की तारीख के पश्चात् सेवा में आए हैं।
- (d) सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं।

उत्तर: (c)

स्रोत: द हट्टि